-मोहनलाल धीरजीबाई रामीबाई पि० हरदेव हि०ब० 1/3
नन्दा पिता मांगीलाल 1/3 गुर्जर सा० देह खातेदार

उपरोक्तानुसार सहखातेदारो के बताये गए हिस्से मजमेआम मे रखा गया। जिसमें सभी ने सही होने बाबत् पुष्टि की गई।

अतः सहखातेदारो की सहमती, तहसीलदार बेगूं की रिपोर्ट व DILRMP के तहत माननीय राजस्व मण्डल के आदेश/परिपत्र/क्रमांक/BR/LR/NLRMP/F-126/पार्ट-2/10164-96 दिनांक 26.9.2017 के निर्देशानुसार उपरोक्त वर्णितानुसार सहखातेदारो के हिस्से की घोषणा जाती है।

पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 27.06.2019 को पेश हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

27.06.2019 पत्रावली पेश हुई। दिनांक 18.06.2019 को सभी पक्षकारो की सहमती से हिस्से की घोषणा अनुसार निर्णय किये जाने से डिक्री आदेश पारित किया जावे विस्तृत निर्णय अलग से लिखवाया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

27/6/19
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या : 53/2019

सरकार जरिये तहसीलदार, बेगूँ तहसील बेगूँ जिला चितौडगढ़

वादी

बनाम

1. देवीलाल पिता हरदेव गुर्जर निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
2. मोतीलाल पिता कालु गुर्जर निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
3. रतनलाल पिता हरदेव गुर्जर निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
4. मोहनलाल पिता हरदेव गुर्जर निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
5. घीसीबाई पिता हरदेव गुर्जर निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
6. रामीबाई पिता हरदेव गुर्जर निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
7. देवा पिता मांगीलाल गुर्जर निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ
8. नन्दा पिता मांगीलाल गुर्जर निवासी नंदवाई तह0 बेगूँ

प्रतिवादीगण

उपस्थित : तहसीलदार, बेगूँ
पैरोकार वादी
प्रतिवादीगण सं. 1से 8 निर्णय दिनांक : 27.06.2019

निर्णय वाद अ0धा0 88 आर.टी.एक्ट सह 136 एल.आर.एक्ट

उक्त वाद पत्र सरकार की ओर से तहसीलदार बेगूँ द्वारा डी.आई.एल.आर.एम.पी. DILRMP के तहत हिस्से की घोषणा बाबत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया जो कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर के आदेश/परिपत्र/कमांक/ बीआर/ एलआर/एन.एल. आर.एम.पी./एफ–126/पार्ट–2/10164–96 दिनांक 26.09.2017 के तहत हिस्से की घोषणा हेतु दिये निर्देशानुसार आर.टी.एक्ट 1955 की धारा 88 एवं एल.आर.एक्ट की धारा 136 के तहत प्रस्तुत किया गया, जो बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया गया उक्त पत्रावली को कैम्प कोर्ट नंदवाई पर वास्ते सुनवाई हेतु रखाया गया,सभी पक्षकारो को सुना गया वास्ते आदेश पत्रावली को आगामी पेशी 27.06.2019 को नियत की गई।

वाद पत्र में तहसीलदार बेगूँ द्वारा उनके पत्रांक 868 दिनांक 31.05.2019 से अवगत कराया कि ग्राम नंदवाई में खा.सं. 300 व 301 सं.2072–75 में खातेदार के हिस्से दर्ज नहीं है तथा अपवादित खाते है। पटवार हल्का के मौका पर्चा अनुसार 1/3–1/3–1/3 हिस्से है।

अतःसरकार का कार्यक्रम DILRMP के तहत खातो के हिस्से डालकर उन्हें ऑनलाईन किया जाना आवश्यक है। सरकार के आदेश कमांक 10164–96 के तहत उनके हिस्से करना आवश्यक होने के कारण आर.टी.एक्ट 1955 की धारा 88 सह एल आर.एक्ट 136 के तहत घोषणा किये जाने की अनुशंषा की गई।

प्रतिवादीगण जरिये नोटिस तलब किया जाकर लोक अदालत कैम्प ग्राम नंदवाई पर दिनांक 27.06.2019 को रखाया गया, पत्रावली में समस्त प्रतिवादीगण उक्त तारीख पर उपस्थित आए जिन्हें कैम्प कोर्ट में सुना गया, प्रतिवादीगण उपस्थित पक्षकारो ने बताया कि उक्त भूमि में कालू हरदेव मांगीलाल पिता नाथू गुर्जर का प्रत्येक का 1/3–1/3–1/3 हिस्सा बनता है एवं उसी अनुरूप कब्जा काश्त है। विरासत से वारिसान के नाम दर्ज हुए है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
लगातार

Scanned by CamScanner

अतः कालु हरदेव मांगीलाल के वारिसान का 1/3–1/3–1/3 हिस्सानुसार घोषणा की जाती है तो सभी सहमत है। खाता.सं. 300 में मांगीलाल के वारिसान नन्दा का नाम देवा हो रहा है। मजमे आम में जांच की गई जिसके अनुसार भी जाहिर हुआ है कि उक्त वर्णित आराजीयात में कालू हरदेव मांगीलाल पिता नाथू गुर्जर तीन भाई होकर 1/3 प्रत्येक का हिस्सा बनता है तथा उसी हक हिस्से से काबिज है। अतः सहमति से ग्राम नंदवाई आ.नं. 344, 348 किता– 2 रकबा 0.45 हैक्टर में मोती पिता कालू 1/3 देवीलाल,रतनलाल,मोहनलाल, घीसाबाई,रामीबाई पिता हरदेव हिस्सा बराबर 1/3, देवा पिता मांगीलाल 1/3 गुर्जर सा0देह खातेदार एवं खाता संख्या 301 मे आ.नं. 341, 342, 343, 345, 346, 347 किता–6 रकबा 2.19 हैक्टर में मोतीलाल पिता कालु 1/3 देवीलाल रतनलाल मोहनलाल घीसीबाई रामीबाई पिता हरदेव हि.ब. 1/3 नन्दा पिता मांगीलाल 1/3 गुर्जर सा. देह खातेदार अनुसार हिस्से की घोषणा किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादी का अ.धा. 88 राज0काश्त0अधि0 सहं धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है, मौजा नंदवाई की खाता संख्या 300 में अंकित आ.नं. 344, 348 किता– 2 रकबा 0.45 हैक्टर में मोती पिता कालू 1/3 देवीलाल, रतनलाल, मोहनलाल, घीसाबाई, रामीबाई पिता हरदेव हिस्सा बराबर 1/3, देवा पिता मांगीलाल 1/3 गुर्जर सा0देह खातेदार एवं खाता संख्या 301 मे आ.नं. 341, 342, 343, 345, 346, 347 किता–6 रकबा 2. 19 हैक्टर में मोतीलाल पिता कालु 1/3 देवीलाल रतनलाल मोहनलाल घीसीबाई रामीबाई पिता हरदेव हि.ब. 1/3 नन्दा पिता मांगीलाल 1/3 गुर्जर सा.देह खातेदार अनुसार हिस्से की घोषणा की जाती है। उक्त निर्णय पर सभी सहखातेदारान द्वारा सहमति से हस्ताक्षर किये जाकर निर्णय को स्वीकार किया गया तथा निर्णय अनुसार खाते में हिस्से दर्ज कराने हेतु सभी सहखातेदार सहमत हुए । उक्त निर्णय की डिक्री तैयार की जाकर राजस्व रिकोर्ड में हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु पालनार्थ तहसीलदार, बेगूं को भिजवाई जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2019 को कोर्ट कैम्प नंदवाई पर लिखाया जाकर सुनाया गया।

27/6/19

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

Scanned by CamScanner

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
<u>न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूॅं जिला चितौडगढ़ (राज0)</u>

दावा संख्या : 53/2019

सरकार जरिये तहसीलदार, बेगूॅं तहसील बेगूॅं जिला चितौडगढ़

वादी

बनाम

1. देवीलाल पिता हरदेव गुर्जर निवासी नंदवाई तह0 बेगूॅं
2. मोतीलाल पिता कालु गुर्जर निवासी नंदवाई तह0 बेगूॅं
3. रतनलाल पिता हरदेव गुर्जर निवासी नंदवाई तह0 बेगूॅं
4. मोहनलाल पिता हरदेव गुर्जर निवासी नंदवाई तह0 बेगूॅं
5. घीसीबाई पिता हरदेव गुर्जर निवासी नंदवाई तह0 बेगूॅं
6. रामीबाई पिता हरदेव गुर्जर निवासी नंदवाई तह0 बेगूॅं
7. देवा पिता मांगीलाल गुर्जर निवासी नंदवाई तह0 बेगूॅं
8. नन्दा पिता मांगीलाल गुर्जर निवासी नंदवाई तह0 बेगूॅं

प्रतिवादीगण

वादी की ओर से पैरोकार तहसीलदार श्री दाना राम की उपस्थिति में तथा प्रतिवादीगण समस्त की उपस्थिति में इस वाद अ.धा. 88 आर.टी.एक्ट सह 136 एल.आर.एक्ट में आज दिनांक 27.06.2019 को पीठासीन अधिकारी रमेश [redacted] सीरवी पुनाडिया आर.ए.एस सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूॅं के समक्ष कोर्ट कैम्प नंदवाई पर अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से दावा पत्रावली में अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से दी जाती है :

अतः वाद वादी का अ.धा. 88 राज0काश्त0अधि0 सहं धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है, मौजा नंदवाई की खाता संख्या 300 में अंकित आ.नं. 344, 348 किता– 2 रकबा 0.45 हैक्टर में मोती पिता कालू 1/3 देवीलाल, रतनलाल, मोहनलाल, घीसाबाई, रामीबाई पिता हरदेव हि0ब0 1/3, देवा पिता मांगीलाल 1/3 गुर्जर सा0देह खातेदार एवं खाता संख्या 301 मे आ.नं. 341, 342, 343, 345, 346, 347 किता–6 रकबा 2.19 हैक्टर में मोतीलाल पिता कालु 1/3 देवीलाल रतनलाल मोहनलाल घीसाबाई रामीबाई पिता हरदेव हि.ब. 1/3 नन्दा पिता मांगीलाल 1/3 गुर्जर सा.देह खातेदार अनुसार हिस्से की घोषणा की जाती है। उक्त निर्णय पर सभी सहखातेदारान द्वारा सहमति से हस्ताक्षर किये जाकर निर्णय को स्वीकार किया गया तथा निर्णय अनुसार खाते में हिस्से दर्ज कराने हेतु सभी सहखातेदार सहमत हुए । उक्त निर्णय की डिक्री तैयार की ज़ाकर राजस्व रिकोर्ड में हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु पालनार्थ तहसीलदार, बेगूॅं को भिजवाई जाती है।

उक्त निर्णय पर सभी सहखातेदारान द्वारा सहमति से हस्ताक्षर किये जाकर निर्णय को स्वीकार किया गया तथा निर्णय अनुसार खाते में हिस्से दर्ज कराने हेतु सभी सहखातेदार सहमत हुए । उक्त निर्णय की डिक्री तैयार की जाकर राजस्व रिकोर्ड में हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु पालनार्थ तहसीलदार, बेगूॅं को भिजवाई जाती है।

अंतिम डिक्री आज दिनांक 27.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई है।

27/6/19

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
बेगूॅं जिला चितौडगढ़

प्रतिलिपि तहसीलदार, बेगूॅं को पालनार्थ प्रस्तुत है।

-----लगातार

Scanned by CamScanner